

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

सी आई एन / CIN : L32309KA1954GOI000787

पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045

Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 70वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2024 को सुबह 10 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित कार्य करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कार्य-

- निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु -
 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; और
 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 1.40 (140%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना और ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 0.80 (80%) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना।
- श्री विक्रमन एन (डीआईएन-10185349) निदेशक (मानव संसाधन) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने पर पात्र होते हैं, स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

विशेष कार्य-

- श्री मनोज जैन (डीआईएन- 09749046) की कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 203, अनुसूची V के प्रावधानों तथा उसके अन्य लागू प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएं और

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 70th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on **Wednesday, 28 August 2024, at 10:00 a.m (IST)** through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To consider and adopt:
 - the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2024 and the reports of the Board of Directors & the Auditors thereon; and
 - the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2024 and the reports of Auditors thereon.
- To confirm the payment of interim dividend of ₹ 1.40 (140%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 0.80 (80%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2023-24.
- To appoint a Director in place of Mr Vikraman N (DIN: 10185349), Director (Human Resources) who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

- Appointment of Mr Manoj Jain (DIN: 09749046) as Managing Director of the Company.**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Sections 196, 203, Schedule V and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the applicable regulation(s) of

प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधनों या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री मनोज जैन (डीआईएन- 09749046), जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2023-डी(बीईएल) दिनांक 19 जून 2024 के माध्यम से कंपनी का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जून 2024 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, श्री मनोज जैन (डीआईएन- 09749046) की कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त की गई और एतद्वारा प्राप्त की जाती है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपर्युक्त निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

5. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःप्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. जीएनवी एंड एसोसिएट लागत लेखाकार, बेंगलूरु (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को ₹ 4,50,000/- (रुपए चार लाख पचास हजार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।”

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
1 अगस्त 2024

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Manoj Jain (DIN: 09749046), who was appointed as Chairman and Managing Director of the Company by Government of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/3/2023-D(BEL) dated 19 June 2024 and subsequently appointed by the Board of Directors as Chairman and Managing Director w.e.f 20 June 2024, consent of the Members be and is hereby accorded for the appointment of Mr Manoj Jain (DIN: 09749046) as Managing Director of the Company, not liable to retire by rotation, as stated above on terms and conditions as stipulated by the Government of India”.

5. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the members of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 4,50,000 (Rupees Four Lakh and Fifty Thousand only) plus applicable taxes to M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2025.”

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
1 August 2024

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, नवीनतम दिनांक 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 दिनांक 6 अक्टूबर 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से और इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों में कंपनियों को 30 सितंबर 2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य श्रव्य साधन (एवीएम) के माध्यम से सामान्य स्थल पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) और परिपत्रों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 70वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का समतुल्य स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा, बंगलूरु-560045 होगा।
2. चूंकि एजीएम परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है।
3. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी।
4. इन परिपत्रों के अनुपालन में, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपॉजिटरियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान सुविधा और ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।
5. कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति / एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपनी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में रिमोट ई-मतदान या मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं। एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के

NOTE

1. The Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020, 2/2022 dated 5 May 2022, 10/2022 dated 28 December 2022, the latest being 09/2023 dated 25 September 2023 and Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated 6 October 2023 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), and other applicable circulars issued in this regard, have permitted the companies to conduct AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) till 30 September 2024, without physical presence of Members at a common venue. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the Circulars, the 70th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company, Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560045.
2. Since the AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form, Attendance Slip is not annexed to this Notice.
3. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
4. In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2023-24 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) at www.evotingindia.com.
5. Corporate/ Institutional Members (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and cast votes through remote e-voting or voting at the AGM. Corporate/ Institutional

इच्छुक कार्पोरेट / संस्थागत सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्कूटिनाइजर को मंडल के संकल्प / प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति (PDF/JPG फॉर्मेट) gthirupal@gmail.com पर भेजें और इसकी प्रति अधिनियम की धारा 113 के तारतम्य में, बैठक में उनकी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर कंपनी के आरटीए को भेजें।

6. ऊपर बताए गए अनुसार विशेष कार्य के संबंध में अधिनियम की धारा 102(1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के तहत यथा अपेक्षित, एजीएम में नियुक्ति या पुनःनियुक्त चाहने वाले निदेशकों के विवरण भी संलग्न हैं जो इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।
7. कंपनी की सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बहियां 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भुगतान करने के लिए सदस्यों की हकदारिता तय करने के प्रयोजनार्थ **शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 से लेकर रविवार, 18 अगस्त, 2024** (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रखी जाएगी।
8. निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.40 (140%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अदा किया गया। जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों को दोबारा विधिमाम्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने दिनांक 20 मई, 2024 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के प्रति ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर रु. 0.80/- (80%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2023-24 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम **15 अगस्त 2024** को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियल रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोजिटरियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार **15 अगस्त 2024** को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।
9. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश वारंट मुद्रित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे सदस्य जो अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करना / बदलना चाहते हैं, वे एमआईसीआर कोड सहित बैंक खाते के संपूर्ण विवरण के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में अपने संबंधित डी.पी. को सूचित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने

Members intending to authorize their representatives to participate and vote at the AGM are requested to send a certified copy of the Board Resolution / Authorization letter (PDF/JPG format) to the Scrutiniser through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in, authorizing its representative(s) to attend the AGM through VC/OAVM and cast vote on their behalf, pursuant to section 113 of the Act.

6. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Details of Directors seeking appointment or re-appointment at the AGM, as required under Regulation 36(3) of the Listing Regulations and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, are also annexed and forms part of the Notice of this meeting.
7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Friday, 16 August 2024 to Sunday, 18 August 2024** (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of Members for the payment of final dividend for the financial year ended 31 March 2024, if declared at the AGM.
8. The Board of Directors has declared an interim dividend of ₹ 1.40 (140%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid for the financial year 2023-24. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/ DDs may approach RTA of the Company for revalidating the expired warrants/ DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 20 May 2024, has recommended a final dividend of ₹ 0.80 (80%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid. The Final Dividend for the year 2023-24, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration, to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on **15 August 2024** in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on **15 August 2024** as per the details furnished by the depositories.
9. Members holding shares in electronic mode may note that bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for printing on dividend warrants. Members who wish to update/change their bank account details may advise their respective DPs about such change with complete details of bank account including MICR Code. Members holding shares in physical form may send their bank

वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को निरस्त किया गए चैक के साथ अपने बैंक विवरण भेज सकते हैं।

सेबी के परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_ RTAMB/P/ CIR/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 और इस संबंध में बाद में जारी परिपत्रों जिनमें से नवीनतम परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 दिनांक 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, द्वारा यह अनिवार्य बनाया है कि 1 अप्रैल 2024 से लाभांश का भुगतान उन्हीं शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जो शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करते हैं यदि फोलियो केएफसी के अनुरूप हो। फोलियो को सभी विवरणों के पंजीकरण पर केवाईसी अनुरूप माना जाएगा जैसे पिन कोड सहित पूरा पता, मोबाइल नं., ईमेल आईडी, बैंक विवरण, फोलियो में सभी धारकों के आधार से जुड़ा वैध पैन, नमूने के हस्ताक्षर, नामांकन आदि। तदनुसार, लाभांश का भुगतान वास्तिक धारकों को उनके फोलियो में उक्त विवरण अद्यतन करने के बाद ही किया जाएगा। शेयरदारों के अनुरोध किया जाता है कि वे अपना केवाईसी पूरा कर लें। इसे अद्यतन करने के प्रारूप <https://bel-india.in/investors/#generalinfo> and <https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx?RTI/STA> में उपलब्ध है।

10. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अब तक अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसे अपने डीपी के पास दर्ज करा लें यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं और यदि उनके द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयर किए जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास दर्ज कराएँ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक का पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अध्यादेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना अपने संबंधित डी.पी. को, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए हों, और कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, चौथा क्रॉस, सम्मिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को, यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित किए हों, को दें। सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण, लाभांश की प्राप्ति और अन्य सेवाओं के लिए बैंक खाते के विवरण का अद्यतन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

धारक का प्रकार	प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है
भौतिक	निम्नलिखित निवेशक सेवाएं प्राप्त करने के लिए, कंपनी के आरटीए, इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित प्रारूप में लिखित अनुरोध डाक द्वारा नं. 30, रमणा रेसीडेन्सी, 4था क्रॉस, सम्मिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को भेजें।

details and cancelled cheque along with requisite documents to Company's RTA.

SEBI has, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_ RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3 November 2021 and subsequent Circulars issued in this regard, the latest being SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17 November 2023, mandated that with effect from 1 April 2024, dividend shall be paid only through electronic mode to Shareholders holding shares in physical form if the folio is KYC compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz. full address with pin code, mobile no., email id, bank details, valid PAN linked to Aadhaar of all holders in the folio, specimen signature, nomination, etc. Accordingly, dividend shall be paid to physical holders only after the above details are updated in their folios. Shareholders are requested to complete their KYC. The forms for updating the same are available at - <https://bel-india.in/investors/#generalinfo> and <https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx?RTI/STA>.

10. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Company's RTA in case the shares are held by them in physical form.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code etc., to their respective DPs, in case the shares are held by them in electronic form and to the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, in case the shares are held by them in physical form. Members may follow the process detailed below for registration of email ID to obtain the notice of the AGM and Annual Report, updation of bank account details for the receipt of dividend and other services.

Type of holder	Process to be followed
Physical	For availing the following investor services, send a written request in the prescribed forms to the RTA of the Company, Integrated Registry Management Services Private Limited by post to No.30, Ramana Residency, 4 th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003.

धारक का प्रकार	प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है	
	भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए पैन, ईमेल एड्रेस, बैंक के विवरण तथा अन्य केवाईसी विवरण या उनमें परिवर्तन / अद्यतन सूचना दर्ज करने संबंधी निवेशक सेवाएं प्राप्त करने का फार्म	फॉर्म आईएसआर-1
	प्रतिभूति धारक का हस्ताक्षर अद्यतन करना	फॉर्म आईएसआर-2
	कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 19 में बताए गए अनुसार नामांकन के लिए	फॉर्म एसएच-13
	विकल्प लेने की घोषणा	फॉर्म आईएसआर-3
	धारक द्वारा नामांकन रद्द करना (आईएसआर-3 के साथ) / नामिती का परिवर्तन	फॉर्म एसएच-14
	डुप्लिकेट प्रमाण-पत्र जारी करने तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों / ऋणपत्रों / बांड आदि के लिए अन्य सेवा अनुरोधों का फॉर्म	आईएसआर 4
	उक्त विवरण / सेवा अनुरोध अद्यतन करने के फॉर्म यहां उपलब्ध हैं https://bel-india.in/investors/#generalinfo और https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx?RTI/STA	
डीमैट	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल एड्रेस, केवाईसी विवरण, अद्यतन हस्ताक्षर, नामांकन/ नामांकन का रद्दीकरण, बैंक खाता के विवरण दर्ज करें।	

11. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि लाभांश का नकदीकरण कंपनी के अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख से निरंतर 7 वर्षों की अवधि तक नहीं किया जाता है तो ऐसे लाभांश निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि ('आईईपीएफ') को अंतरित किए जाएंगे। ऐसे दावा न किए गए लाभांश से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। जिन सदस्यों के दावा न किए गए लाभांश / शेयर आईईपीएफ को अंतरित किया गया है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फार्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करते हुए उसका दावा कर सकते हैं।

Type of holder	Process to be followed	
	Form for availing investor services to register PAN, email address, bank details and other KYC details or changes / update thereof for securities held in physical mode	Form ISR-1
	Update of signature of securities holder	Form ISR-2
	For nomination as provided in the Rules 19 (1) of Companies (Share capital and debenture) Rules, 2014	Form SH-13
	Declaration to opt out	Form ISR-3
	Cancellation of nomination by the holder(s) (along with ISR-3) / Change of Nominee	Form SH-14
	Form for requesting issue of Duplicate Certificate and other service requests for shares / debentures / bonds, etc., held in physical form	ISR 4
	The forms for updating the above details/service request are available at - https://bel-india.in/investors/#generalinfo and https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx?RTI/STA .	
Demat	Please contact your DP and register your email address, KYC details, update of signature, nomination/ Cancellation of nomination, bank account details etc in your demat account, as per the process advised by your DP.	

11. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF'). The shares in respect of such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/ shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an application to the IEPF Authority in Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

वित्तीय वर्ष 2016-17 का दावा न किए गए / अदत्त द्वितीय अंतरिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईपीएफ को अंतरित किया जाना है। कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2024 को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दिया है। अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में अपलोड किए गए हैं। दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए के साथ पत्राचार करें।

12. सूचीबद्धता विनियम, यथा संशोधित, के विनियम 40 के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के नए अंतरण अनुरोध स्वीकार करना बंद कर दिया था। कंपनी के शेयर भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर अमूर्तीकरण के निहित अनुलाभ प्राप्त करने के लिए डीमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करा लें।

इसके अलावा, सदस्य ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र [SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8] दिनांक 25 जनवरी 2022 द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह आज्ञापक बनाया है कि वे किसी भी सेवा अनुरोध पर कार्यवाही करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करें जैसे डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाण-पत्र जारी करना, अदावी निलंबन खाते का नवीकरण / प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का विनियम संबंधी दावा, पृष्ठान्कन, प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का उप-विभाजन / विभक्तीकरण, प्रतिभूति प्रमाण-पत्रों / फोलियो का समेकन, पारेषण और प्रतिस्थापन। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करते हुए सेवा अनुरोध करें जिसका प्रारूप <https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505> और <https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx?RTI/STA> में उपलब्ध है। यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी सेवा अनुरोध को केवाईसी अनुपालन के बाद ही प्रोसेस किया जा सकता है।

13. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी होगी। विभिन्न वर्गों की निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें। कंपनी को उचित टीडीएस तय करने / कर दर लागू करना रोक रखने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 28 अगस्त, 2024 से पहले <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> में कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करा लें। उसके बाद कर निर्धारण / कटौती के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित करते हों)

The unclaimed/unpaid second interim dividend for the financial year 2016-17. final dividend for the financial year 2016-17 and interim dividend for the financial year 2017-18 are due for transfer to IEPF during the financial year 2024-25. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31 March 2024 on the website of the Company www.bel-india.in. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company www.bel-india.in. Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the RTA.

12. In accordance with Regulation 40 of the Listing Regulations, as amended, the Company had stopped accepting any transfer requests for securities held in physical form. Members holding shares of the Company in physical form are requested to kindly get their shares converted into demat/electronic form to get inherent benefits of dematerialization.

Further, Members may please note that SEBI vide its Circular [SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8] dated 25 January 2022 mandated listed companies to issue securities in demat form only while processing any service requests viz. issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account renewal/exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR-4, the format of which is available at at - <https://bel-india.in/investors/#generalinfo> and <https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx?RTI/STA>. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant.

13. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1 April 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, Members are requested to upload the requisite documents with the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> or before 28 August 2024. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained thereafter. The shareholders are requested to update their PAN with the Company / Company's RTA (in case of shares held in

और डिपॉजिटरी (यदि शेयर डीमैट माध्यम में धारित किए हों) में अपने पैन को अद्यतन करा लें।

14. जो सदस्य एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले खातों या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे secretary@bel.co.in पर ईमेल द्वारा एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को इस बारे में लिखें। इस पर कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
15. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 में बताए गए अनुसार फार्म एसएच-13 में किसी भी व्यक्ति जिन्हें कंपनी में उनके शेयर फार्म में उल्लिखित घटना घटने पर निहित होंगे, को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन का विकल्प लेना चाहते हैं या उसे रद्द करना चाहते हैं और नया नामांकन दर्ज कराना चाहते हैं वे फॉर्म आईएसआर-3 या फॉर्म एसएच-14, जैसा मामला हो, में जमा करा सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को डुप्लिकेट में फार्म संख्या- एसएच-13 दे सकते हैं। शेयरों को अमूर्त रूप में धारित करने पर नामांकन संबंधित डीपी में दर्ज कराना होगा।
16. कंपनी ने 70वीं एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या अपनी सुरक्षित लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए www.evotingindia.com की ई-मतदान वेबसाइट पर लॉग इन कर एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकेंगे।
17. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -
 - क. बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों की ही तरह है।
 - ख. बैठक में शामिल होने के लिए वीसी / ओएवीएम का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
 - ग. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपैड से बैठक में शामिल हों। इसके अलावा, शेयरधारकों को अपने लैपटॉप / आईपैड के कैमरा चालू रखना होगा और बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करना होगा।
 - घ. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में परिवर्तन के कारण ऑडियो / वीडियो का व्यवधान हो सकता है। इसलिए, सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें।

physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

14. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company at least 7 days before that date of AGM through e-mail at secretary@bel.co.in. The same will be suitably replied by the Company.
15. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form SH-13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/she may submit the same in Form ISR-3 or Form SH-14 as the case may be. Persons holding shares in physical form may send Form No. SH-13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.
16. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to provide Video Conferencing facility for the 70th AGM of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of the AGM by logging on the e-voting website of www.evotingindia.com using their secure login credentials.
17. **Instructions for the Members for attending the AGM through VC/OAVM:**
 - a. The procedure for attending meeting is same as the instructions mentioned below for remote e-voting.
 - b. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned below for remote e-voting.
 - c. Shareholders are requested to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience. Further shareholders will be required to allow camera of their Laptops / IPads and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
 - d. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

- ड. सदस्य इस सूचना में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- च. वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ - पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। बृहद् शेयरधारकों (जहाँ शेयरधारकों की शेयरधारिता 2% या उससे अधिक है), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और पणधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखा परीक्षकों आदि के लिए एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- छ. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे 14 अगस्त, 2024 (सुबह 9.00 बजे आई.एस.टी.) से 22 अगस्त, 2024 (शाम 5 बजे आई.एस.टी.) तक secretary@bel.co.in में कंपनी को ईमेल भेजते हुए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया नोट करें कि सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तभी दिए जाएंगे जब शेयरधारक निर्दिष्ट तारीख पर कंपनी के शेयर धारित करते हैं।
18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20, सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में व्यवहारीत कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान सुकर बनाने के लिए, अधिकृत रिमोट ई-मतदान एजेंसी के रूप में, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक करार किया है। रिमोट ई-मतदान का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने तथा एजीएम में ई-मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-मतदान के अनुदेश नीचे दिए गए हैं -

रिमोट ई-मतदान हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश -

- (i) रिमोट ई-मतदान की अवधि **शनिवार, 24 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजे आईएसटी** से शुरू होगी और **मंगलवार, 27 अगस्त 2024 को शाम 5.00 बजे आईएसटी** को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो **21 अगस्त, 2024** की निर्दिष्ट तारीख को शेयरों को वास्तविक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल उसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- e. The Members can join the AGM through VC/OAVM 30 minutes before the scheduled time of commencement of the AGM and during the AGM by following the procedure mentioned in the Notice.
- f. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at-least 1000 Members on first come first served basis. No restrictions on account of first come first served basis entry into AGM will be applicable to large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- g. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending e-mail to the Company at secretary@bel.co.in from **14 August 2024 (09:00 a.m IST) to 22 August 2024 (05:00 p.m IST)**. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. Please note that, Members questions will be answered only if the shareholder continues to hold shares of the Company as on the cut-off date.
18. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by Members using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. The instructions for remote e-voting are as under:

Instructions for Members for Remote E-voting:

- (i) The remote e-voting period begins on **Saturday, the 24 August 2024 at 09:00 a.m IST** and ends on **Tuesday, the 27 August 2024 at 05:00 p.m IST**. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **21 August 2024** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

- (ii) जिन सदस्यों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान किया है, वे एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सुविधा के बारे में सेबी के परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 ("सेबी परिपत्र") के परिप्रेक्ष्य में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों को डिपोजिटरी तथा डिपोजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए उनके डीमैट खाते द्वारा मतदान करने की अनुमति होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन कर लें।
- A. डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-मतदान करने और एजीएम में शामिल होने की लॉगिन विधि नीचे दी गई है -

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<p>1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईजी / ईजिएस्ट सुविधा का विकल्प लिया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। इसका विकल्प बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पेज पर पहुंचने के लिए उपलब्ध होगा। ईजी / ईजिएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूजर का यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login है या वे www.cdslindia.com में जाकर लॉगिन आइकन पर क्लिक कर न्यू सिस्टम माईईजी चुन सकते हैं।</p> <p>2) ईजी / ईजिएस्ट में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, यूजर पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ई-मतदान प्रगति में होगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पेज देख सकते हैं या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, ई-मतदान के सभी सेवा प्रदाताओं जैसे सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वा/लिंकिनटाइम के सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए भी दिए गए हैं ताकि यूजर ई-मतदान सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट में सीधे जा सकें।</p> <p>3) यदि यूजर ईजी / ईजिएस्ट विकल्प में पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration में उपलब्ध है।</p>

- (ii) Members who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the AGM.
- (iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9 December 2020 ("SEBI Circular") on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.
- A. Login method for e-Voting and joining the AGM for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	<p>1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.</p> <p>2) After successful login to the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3) If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
	<p>4) वैकल्पिक रूप से, यूज़र www.cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ई-मतदान लिंक से या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक करते हुए डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करते हुए ई-मतदान पेज में सीधे जा सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओ.टी.पी. भेजते हुए यूज़र का प्रमाणीकरण करेगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर यूज़र ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-मतदान प्रगति में है और साथ ही ई-मतदान सेवा के सभी प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस प्राप्त कर सकेंगे।</p>
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<p>1) यदि आप एनएसडीएल की IDeAS सुविधा में पहले से पंजीकृत हैं तो एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट में जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, 'IDeAS' खंड के तहत उपलब्ध "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको यहां अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आप ई-मतदान सेवाएं देख सकते हैं। ई-मतदान सेवा के तहत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें, आप ई-मतदान पेज देख सकेंगे। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) यदि यूज़र IDeAS ई-सेवा में पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद,</p>

Type of Shareholders	Login Method
	<p>4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<p>1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
	<p>‘शेयरधारक/सदस्य’ खंड में उपलब्ध “Login” आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल में आपका सोलह डिजिट का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की साइट पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।</p>
अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा लॉगिन करने वाले शेयरधारक (जो डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करते हैं)	<p>आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन सफल होने पर, आप ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे। ई-मतदान के विकल्प पर क्लिक करने पर आपको प्रमाणीकरण सफल होने के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट को निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण नोट - सदस्य जो यूजर आईडी / पासवर्ड दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित वेबसाइट में उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

- ख. ई-मतदान और भौतिक शेयरधारकों तथा ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर शेयरधारक जो डीमैट के रूप में धारित करते हैं, के लिए वर्चुअल बैठकों में शामिल होने के लिए लॉगिन करने की विधि।
- शेयरधारकों को ई-मतदान की वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा।
 - “शेयरधारक” मॉड्यूल में क्लिक करें।
 - अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें -
 - सीडीएसएल के लिए-16 अंकों का हितलाभी आईडी,
 - एनएसडीएल के लिए - 8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,

Type of Shareholders	Login Method
	<p>e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

- B. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - Click on “Shareholders” module.
 - Now enter your User ID
 - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

- ग. शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को कंपनी के पास दर्ज फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।
- iv) इसके बाद प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- v) यदि आप शेयरों को डीमैट रूप में रखते हैं और www.evotingindia.com पर अपने लॉग ऑन कर किसी कंपनी के पहले के ई-मतदान पर मतदान किया है तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना है।
- vi) यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -
- c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- vi) If you are a first-time user follow the steps given below:

पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 अंकों का अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारक, दोनों के लिए)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए द्वारा भेजी गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी / आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	<p>लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी के अभिलेखों में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं तो लाभांश बैंक विवरण के स्थान पर सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें।

- vii) इन विवरण को उचित ढंग से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- viii) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को इसके बाद कंपनी का चयन स्क्रीन दिखेगा। बहरहाल, डीमैट रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारकों को अब 'Password Creation' मेन्यू दिखेगा जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी जिसमें वे मतदान करने के पात्र हैं, के संकल्पों हेतु मतदान करने के लिए डीमैट धारकों द्वारा भी किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म द्वारा ई-मतदान का विकल्प लेती हो। इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड के संबंध में पूरी गोपनीयता बरतें।

PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- ix) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए, इस विवरणों का उपयोग इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए ही किया जा सकता है।
- x) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ईवीएसएन 240731012 पर क्लिक करें जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं।
- xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और उसी विकल्प के सामने मतदान के लिए "हाँ या नहीं" विकल्प होगा। इच्छानुसार हाँ या नहीं के विकल्प का चयन करें। विकल्प हाँ का अर्थ है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प को अस्वीकार करते हैं।
- xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- xiii) आप जिस संकल्प पर मतदान करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अपने मतदान को बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मतदान को संशोधित करें।
- xiv) एक बार जब आप संकल्प पर मतदान "CONFIRM" कर देते हैं, तो आपको अपना मतदान संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- xv) आप मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और Forgot Password पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।
- ग. गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा-रिमोट मतदान के लिए।
- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और स्वयं को "Corporates" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
 - संस्था के स्टैप और हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण प्रारूप की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंप्लाइंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कंप्लाइंस यूजर उस खाते को लिंक करने में सक्षम होंगे जिसके लिए वे मतदान देना चाहते हैं।
 - लॉगिन में जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों को अनुमोदन प्राप्त करने पर वे अपना मतदान दे सकेंगे।
 - मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो संवीक्षक को उसका सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- x) Click on the EVSN of Bharat Electronics Limited: 240731012 on which you choose to vote.
- xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- C. Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –For Remote Voting only.
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the Scrutiniser to verify the same.

- घ. एजीएम के दौरान ई-मतदान करने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश-
- एजीएम के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान है ।
 - केवल ऐसे सदस्यों के लिए, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसे करने से विवर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे ।
 - यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के दौरान सदस्यों द्वारा कोई मतदान किया गया और ऐसे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो, ऐसे सदस्यों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान करने की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है ।
 - जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- ड. सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसे डिपोजिटरी के माध्यम से लॉगिन करने संबंधी किसी तकनीकी मामलों के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com में अनुरोध भेजते हुए सीडीएसएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in में अनुरोध भेजते हुए एनएसडीएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 022 - 4886 7000 और 022-2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

- एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारक के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले आते हैं, वे ही मतदान करने के हकदार होंगे।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिगे, एफसीएस 6680,

- D. Instructions for Members for e-voting during the AGM:
- The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
 - Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. However, members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM.
 - If any Votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Members attending the meeting.
 - Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- E. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022-2499 7000.

- In case of joint holders attending the AGM, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company

पेशेवर कंपनी सचिव को स्कूटिनाइज़र नियुक्त किया है। स्कूटिनाइज़र एजीएम में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, एजीएम में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे और एजीएम की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्कूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे। अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे।

अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्कूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर लगाया जाएगा और इसकी सूचना एक साथ बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी।

21. प्रस्तावित संकल्पों को एजीएम की तारीख में पारित किया गया माना जाएगा, जो इन संकल्पों के पक्ष में मतों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के अधीन होगा।
22. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर रखा गया है और ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं और जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया है, तथा इस सूचना में संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़ इस सूचना के परिचालन की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 28 अगस्त 2024 तक बिना किसी शुल्क से सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध ई-मेल आईडी secretary@bel.co.in पर भेज सकते हैं।
23. एजीएम के दर्ज प्रतिलेख कंपनी द्वारा रखे जाएंगे और बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in के निवेशक खंड में उपलब्ध कराए जाएंगे।
24. चूंकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस सूचना के साथ रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

Secretary as the Scrutiniser to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutiniser shall, after the conclusion of e-voting at the AGM, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and submit, a consolidated Scrutiniser's Report of the total number of votes cast in favour of or against or invalid, if any, not later than two working days of the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

The result, along with the Scrutiniser's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in immediately after the results are declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited, simultaneously.

21. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions.
22. The Register of Directors' and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice will be available for inspection by the Members electronically without any fee from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM i.e. 28 August 2024. Members seeking to inspect such documents can send their request at the e-mail ID secretary@bel.co.in
23. The recorded transcript of the AGM, shall be maintained by the Company and also be made available on the website of the Company www.bel-india.in in the Investor Section, at the earliest soon after the conclusion of the Meeting.
24. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण।

मद सं. 4 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19 जून 2024 के माध्यम से श्री मनोज जैन (डीआईएन- 09749046), निदेशक (अनुसंधान व विकास) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 जिसे धारा 179 के साथ पढ़ा जाना है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) और उनके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधनों या उसके पुनः अधिनियमन सहित) और / या कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 74 के अनुसार, मंडल ने दिनांक 20 जून 2024 से श्री मनोज जैन को कंपनी का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) नियुक्त किया है।

सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएं और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

श्री मनोज जैन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164, 196 (3) जिसे सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएं और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, के प्रावधानों के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अनर्ह नहीं हैं।

कंपनी में श्री मनोज जैन और शेयरधारिता हित धारण करने तक उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी के कोई अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह इस एजीएम की सूचना की मद सं. 4 में निर्धारित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

अधिनियम की धारा 190 के अनुसार, नियुक्ति के निबंधन तय करने का ज्ञापन कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी शुल्क का भुगतान किए बिना सदस्यों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

मंडल कंपनी के सदस्यों के अनुमोदनार्थ एजीएम की सूचना की मद सं. 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 5 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक नियम), 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा जो लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह आवश्यकता भी बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने इस संकल्प में दर्शित निबंधन / पारिश्रमिक पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.4:

The Government has vide its letter dated 19 June 2024, appointed Mr Manoj Jain (DIN:09749046), Director (Research & Development) as Chairman and Managing Director on the Board of BEL from the date of assumption of charge of the post till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. Pursuant to Section 203 read with Section 179 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions (if any) of the Companies Act, 2013 & rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and/or Article 74 of Article of Association of the Company, the Board has appointed Mr Manoj Jain as Chairman & Managing Director (Key Managerial Personnel) of the Company w.e.f 20 June 2024.

Pursuant to regulation 17 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the appointment of Managing Director is subject to the approval of shareholders.

Mr Manoj Jain is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Except Mr Manoj Jain and his relatives, to the extent of their shareholding interest, if any, in the Company, none of the other Directors / Key Managerial Personnel of the Company / their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at Item No.4 of the Notice of the AGM.

As per section 190 of the Act, the memorandum setting the terms of appointment is available for inspection at the registered office of the company by the members without the payment of any fee.

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.4 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.5:

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the Members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s GNV & Associates, Cost Accountants,

लागत लेखापरीक्षा करने के लिए मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148 (3) जिसे कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, में बताई गई आवश्यकता अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा तय किया गया लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा जाता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह इस एजीएम की सूचना की मद सं. 5 में निर्धारित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों के अनुमोदनार्थ एजीएम की सूचना की मद सं. 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के खंड 1.2.5 में यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए संस्तुत निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

मद सं. 3 के संबंध में -

पुनर्नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री विक्रमन एन (डीआईएन-10185349)
जन्म तिथि	05 मार्च 1966.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	01 जून 2023.
शैक्षिक योग्यता	बी. ई. (ऑनर्स)-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन पीजीडीएचआरएम पीएमपी
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री विक्रमन एन ने 1 जून 2023 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (एचआर) के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे मंडल में पदोन्नति से पहले कार्यकारी निदेशक (रेडार) और बीईएल की गाजियाबाद यूनिट के यूनिट प्रमुख के रूप में सेवारत थे। श्री विक्रमन एन को मानव संसाधन के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न कार्यों जैसे रेडार और मिसाइल प्रणालियों के क्षेत्र में परीक्षण, विपणन और ग्राहक सहायता को संभालने का 35 वर्षों का विशाल, समृद्ध अनुभव है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग (ऑनर्स) की डिग्री और मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। वे 'नवाचार' के लिए प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। वे परियोजना प्रबंधन संस्थान, अमेरिका से प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर भी हैं।

Bengaluru (Firm Registration No. 000150) to conduct cost audit of the Company for the financial year 2024-25 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.5 of the notice of this meeting.

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.5 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

Additional information of Directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2).

In respect of item No.3:

Re-Appointment:

Name and DIN	Mr Vikraman N (DIN: 10185349).
Date of Birth	05 March 1966.
Date of first appointment on the Board	01 June 2023.
Qualification	B.E (Honors) – Electronics & Communication PGDHRM PMP
Expertise in specific function area	Mr Vikraman N took charge as the Director (HR) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on 1 June 2023. He was serving as Executive Director (Radar) and Unit Head of BEL's Ghaziabad Unit prior to his elevation to the Board. Mr Vikraman N has 35 years of vast, rich experience in handling various facets of HR and diverse functions such as Testing, Marketing and Customer Support in the field of Radars and Missile Systems. He holds a degree in Bachelors of Engineering (Honors) in Electronics & Communication and Post Graduate Diploma in Human Resource Management. He is a recipient of the prestigious Raksha Mantri's Award for 'Innovation'. He is also a certified Project Management Professional from Project Management Institute, USA.

ईडी (रेडार) और यूनिट प्रमुख, बीईएल-गाजियाबाद के रूप में, उन्होंने बीईएल की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट को अपने अब तक के उच्चतम कारोबार और लाभप्रदता तक पहुंचाया और उन्हें बीईएल की वार्षिक रोल-ऑन-प्लान बिजनेस बैठक में 'अचीवर' पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्री विक्रमन एन ने बीईएल में मानव संसाधन कार्य को एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, श्री विक्रमन एन बीईएल की कारोबारी आवश्यकताओं के साथ संरेखण में मानव संसाधन नीतियों और रणनीतियों को संस्थागत बनाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने जनशक्ति योजना, निष्पादन प्रबंधन, प्रशिक्षण और विकास, क्षमता विकास, कौशल विकास आदि जैसे क्षेत्रों में नई प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित कीं। उनके नेतृत्व में, बीईएल ने लोगों की क्षमता परिपक्वता मॉडल (स्तर 3) के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।

श्री विक्रमन एन ने उत्कृष्टता के लिए बीईएल अकादमी की स्थापना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शिक्षाविदों के साथ साझेदारी बढ़ाने के माध्यम से कंपनी के भीतर सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। मानव संसाधन के क्षेत्र में बीईएल के लिए उनके कुछ अन्य प्रमुख योगदान में प्रतिभा प्रबंधन के लिए ईआरपी आधारित शिक्षण प्रबंधन प्रणाली को संस्थागत बनाना, विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए आवश्यक दक्षताओं का निर्माण करने के लिए कार्यात्मक क्षमता शब्दकोश की स्थापना और लचीला-सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक मिश्रित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना शामिल है। उन्होंने महामारी के दौरान कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख एचआर प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए, इस प्रकार व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की गई।

परीक्षण, विपणन और ग्राहक सहायता प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मिसाइल सिस्टम

As ED (Radar) and Unit Head, BEL-Ghaziabad, he steered the second biggest Unit of BEL to its highest ever turnover and profitability and was presented 'Achiever' Award at the annual Roll-on-Plan Business Meet of BEL.

Mr Vikraman N has played a pivotal role in providing a strategic edge to the Human Resources function in BEL. During his previous tenure as General Manager (Human Resources) at BEL's Corporate Office, Mr Vikraman N was responsible for institutionalising HR policies and strategies in alignment with the business requirements of BEL. He established new systems and procedures in areas such as Manpower Planning, Performance Management, Training & Development, Competency Development, Skill Development, etc. He was responsible for introducing a comprehensive framework for various competencies for benchmarking performance standards and providing a more equitable method for career progression. Under his leadership, BEL received the certification for People Capability Maturity Model (Level 3).

Mr Vikraman N has promoted an atmosphere conducive for learning within the company through the establishment of the BEL Academy for Excellence and fostering partnerships with both national and international academia. Some of his other major contributions to BEL in the field of HR include institutionalising ERP based Learning Management System for Talent Management, establishing Functional Competency Dictionary to build competencies required for different job roles, and introducing a blended e-learning platform to promote flexi-learning. He implemented changes in key HR processes to ensure safety of the workforce during the pandemic, thus ensuring business continuity.

In his previous assignment at BEL's Missile Systems SBU, Mr Vikraman developed

	एसबीयू ने लगातार चार वर्षों तक ₹1000 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया। श्री विक्रमन एन ने 100 से अधिक प्रमुख हितधारकों का प्रबंधन किया जो प्रतिष्ठित आकाश परियोजना में शामिल थे और देश की पहली स्वदेशी मिसाइल प्रणाली की प्राप्ति को सफलतापूर्वक पूरा किया।
पुनर्नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में पुनर्नियुक्ति।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	3,789
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	कोई नहीं

	multi- disciplinary competencies in his team to handle system integration projects. He nurtured the culture change required for the organisation to migrate from the role of a Radar manufacturer to that of a Weapon System Integrator. During his tenure as Head of Testing, Marketing & Customer Support, the Missile Systems SBU achieved a record turnover of ₹ 1,000 Crore for four consecutive years. Mr Vikraman N managed over 100 major stakeholders who were involved in the prestigious Akash project and successfully completed the realisation of the country's first indigenous missile system.
Terms and conditions of re-appointment	Re-appointment in terms of section 152(6) of the Companies Act, 2013.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	3,789.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner.	Nil.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित 6 बैठकों में से 6 में भाग लिया।
--	---

मद सं. 4 के संबंध में नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री मनोज जैन (डीआईएन - 09749046).
जन्म तिथि	2 मार्च 1969.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	26 सितंबर 2022.
शैक्षिक योग्यता	इंजीनयरी स्नातक (इलेक्ट्रॉनिक्स)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	<p>श्री मनोज जैन ने 20 जून, 2024 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। वे 26 सितंबर, 2022 से निदेशक (आर एंड डी) थे और 1 अगस्त, 2023 से उन्हें निदेशक (बंगलूर कॉम्प्लेक्स) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। उन्हें 1 नवंबर, 2022 से 31 मई, 2023 तक निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। निदेशक (आर एंड डी) के रूप में पदोन्नति से पहले वे बीईएल के बंगलूर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एवियोनिक्स एसबीयू के महाप्रबंधक थे।</p> <p>श्री मनोज जैन ने आरईसी जयपुर (एमएनआईटी) से स्वर्ण पदक के साथ बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स) पूरा करने के बाद अगस्त 1991 में परिवीक्षाधीन अभियंता के रूप में बीईएल में कार्यग्रहण किया था। तीन दशकों से अधिक के अपने अनुकरणीय करियर में, उन्होंने अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीईएल की कोटद्वार यूनिट में डी एंड ई में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान, श्री मनोज जैन ने डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, क्रॉस कनेक्ट्स, सीडीओटी एक्सचेंज और सैन्य स्विच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 में, उन्हें बंगलूरु में बीईएल की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में स्थानांतरित किया गया जहां वे रक्षा नेटवर्क और नेटवर्क तथा बल्क सिक्वोरिटी सॉल्यूशंस के लिए तकनीकों के विकास कार्य में संबद्ध रहे। रेडार के क्षेत्र में, जो बीईएल का प्रमुख कारोबार है, वे एफपीजीए का उपयोग करते हुए ट्रेंड, स्कैन कन्वर्टर और डिस्प्ले के विकास में शामिल थे।</p>

Attendance in the Board meetings held during the financial year 2023-24.	Attended 6 meetings out of 6 meetings held during his tenure in BEL.
--	--

In respect of item No.4:

Appointment:

Name and DIN	Mr Manoj Jain (DIN: 09749046).
Date of Birth	2 March 1969.
Date of first Appointment on the Board	26 September 2022.
Qualification	Bachelor of Engineering (Electronics).
Expertise in specific function area	<p>Mr Manoj Jain took charge as the Chairman and Managing Director of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on 20 June 2024. He was Director (R&D) since 26 September 2022 and was also assigned with additional charge of Director (Bangalore Complex) from 1 August 2023. He was also assigned additional charge of Director (HR) from 1 November 2022 to 31 May 2023. He was General Manager of the Electronic Warfare & Avionics SBU at BEL's Bangalore Complex prior to his elevation as Director (R&D).</p> <p>Mr Manoj Jain joined BEL in August 1991 as Probationary Engineer after completing his BE (Electronics) from REC Jaipur (MNIT) with Gold medal. In an illustrious career spanning over three decades, he has made significant contributions to the field of Research & Development. During his initial years in D&E at BEL's Kotdwara Unit, Mr Manoj Jain played a pivotal role in the development of Digital Multiplexers, Cross Connects, CDOT Exchanges and Military Switches. In 1999, he moved to BEL's Central Research Laboratory in Bengaluru and was engaged in the development of technologies for Defence Networks and Network & Bulk Security Solutions. In the area of Radar, one of BEL's core businesses, he was involved in the development of VeXT, Scan Converter and Display using FPGA.</p>

	<p>श्री मनोज जैन ने दिसंबर 2017 से मई 2019 तक सीआरएल-बेंगलूर के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं और सभी तकनीकी क्षेत्रों में तकनीकी विकास की निगरानी की। उन्होंने जून 2019 में बीईएल के उत्पाद विकास एवं नवाचार केंद्र (पीडी एंड आईसी) के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। यहां उनके दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान, पीडी एंड आईसी ने बीईएल के लिए आवश्यक कई नए उत्पाद/उप-प्रणाली विकसित किए जिनसे नवाचार और मूल्य वर्धन सुनिश्चित हुआ और आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई।</p> <p>श्री मनोज जैन ने जून 2021 में बीईएल-बेंगलूर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एवियोनिक्स एसबीयू के महाप्रबंधक और प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एसबीयू के सभी कारोबारी प्रचालनों की निगरानी करने के अलावा, उन्होंने इस कारोबारी खंड के लिए अत्यावश्यक दूरदृष्टि प्रदान की।</p> <p>श्री मनोज जैन ने आर एंड डी के विभिन्न पुरस्कार, प्रमुख योगदानकर्ता पुरस्कार, रक्षा मंत्री के पुरस्कार और सोडेट पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने अनेक तकनीकी पत्र प्रकाशित किए हैं, अनेक पेटेंट के लिए आवेदन किया है और रक्षा प्रयोक्ताओं और डीआरडीओ को व्याख्यान दिया है।</p>		<p>Mr Manoj Jain served as Chief Scientist of CRL-Bengaluru from December 2017 to May 2019, overseeing technological developments in all technical areas. He took over as General Manager of BEL's Product Development & Innovation Centre (PD&IC) in June 2019. During his two-year stint here, PD&IC developed many new products/sub-systems required for BEL, thus ensuring innovation and value addition, leading to self-reliance.</p> <p>Mr Manoj Jain took over as the General Manager and Head of the Electronic Warfare & Avionics SBU at BEL-Bengaluru, in June 2021. Apart from overseeing all the business operations of the SBU, he provided the much-needed vision for this business vertical.</p> <p>Mr Manoj Jain has received various R&D awards, Key Contributor Awards, Raksha Mantri's Award and SODET Awards. He has published many technical papers, applied for several patents and delivered talks to Defence users and DRDOs.</p>
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2023-डी (बीईएल) दिनांक 19 जून 2024 में निर्दिष्टानुसार	Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/3/2023-D(BEL) dated 19 June 2024.
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं	Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	1. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	1. BEL Optronic Devices Limited
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड - लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और निवेश समिति के अध्यक्ष	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	BEL Optronic Devices Limited – Member of Audit Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Investment Committee.
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं	Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.

कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	7,590	No. of equity shares held in the Company.	7,590
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	आयोजित 7 बैठकों में से सभी 7 बैठकों में उपस्थित	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2022-23.	Attended 7 meetings out of 7 meetings held.

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

**By order of the Board
For Bharat Electronics Limited**

बेंगलूरु
1 अगस्त, 2024

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

**Bengaluru
1 August 2024**

**S Sreenivas
Company Secretary**

[THIS PLACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK]